CASE LAW

01. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम ऐश्वर्या पांडेय
Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) No(s). 19255/2021
बेंच - जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना

अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी और नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारी के अलग-अलग वेतनमान नहीं हो सकते हैं और जिस क्षण किसी व्यक्ति को किसी विशेष पद पर नियुक्त किया जाता है, वह व्यक्ति वेतन का हकदार होता है- भले ही नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर ही क्यों न हो।

02. एन. राघवेंद्र बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
CRIMINAL APPEAL NO. 5 OF 2010
बेंच - NV रमण जस्टिस सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली

बैंक में ग्राहक द्वारा जमा किया गया पैसा बैंक के पास ट्रस्टी के रूप में नहीं होता है, बल्कि यह बैंकर के फंड का एक हिस्सा बन जाता है, जो एक ग्राहक द्वारा जमा की गई राशि का भुगतान

Lawspark Institute

करने के लिए संविदात्मक दायित्व के तहत होता है, जो कि ब्याज की सहमत दर के साथ मांग पर होता है|

03. महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बनाम महेशभाई टीनाभाई राठौड़ CA 11477 OF 2014

बेंच - सीजेआई एनवी रमना, एएस बोपन्ना और हिमा कोहली

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत निर्धारित सीमा अवधि से परे देरी को माफ करने के लिए, परिसीमा सीमा की धारा 5 लागू नहीं हो सकती है|

04. बृजमणि देवी बनाम पप्पू कुमार और अन्य

CRIMINAL APPEAL NO. OF 2021 (ARISING OUT OF SLP (CRL.) NO.6335 OF 2021)

बेंच - न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न

अदालत को जमानत देते समय विस्तृत कारण बताने की जरूरत नहीं है, खासकर जब मामला शुरुआती चरण में हो और आरोपी द्वारा किए गए अपराधों के आरोपों को पुख्ता नहीं किया गया हो

जस्टिस एल नारेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जमानत देते वक्त उसके कारणों को इस विस्तार से नहीं दिया जा

LawSpark Institute

सकता है जिससे ऐसा लगे कि उस मामले में आरोपित को सजा मिलेगी या वह बरी हो जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपित के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति, आरोप साबित होने पर दोष सिद्धि और सजा की गंभीरता, गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका, सुबूतों से छेड़छाड़, अरोपित का पूर्व आपराधिक इतिहास, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को लेकर अदालत के प्रथम दृष्टया संतोष के बीच संतुलन बनाना होगा।

05. नील ऑरेलियो नून्स एंड अन्य बनाम भारत संघ और अन्य और यश टेकवानी और अन्य बनाम चिकित्सा परामर्श समिति और अन्य

बेंच - जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रु 8 लाख वार्षिक आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत कोटा की गणना के लिए एक उचित और न्यायसंगत मानदंड है । केंद्र सरकार द्वारा कोर्ट को तैयार की गई विशेषज्ञ समिति ने कहा कि मानदंड बदलने की जरूरत नहीं है।

06. राजेंद्र भगत बनाम झारखंड राज्य

CRA OF 2022

Lawspark Institute

कोरम: जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ

जब वैवाहिक विवादों का वास्तविक समाधान हो तो IPC की धारा 498A की सजा को बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए|

07. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (आरएमजीबी) बनाम रमेश चंद्र मीणा CA 7451 of 2021

बेंच - जस्टिस एमआर शाह और संजीव खन्ना

विभागीय कार्यवाही में एक दोषी कर्मचारी को अपनी पसंद के वकील या एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का कोई संपूर्ण अधिकार नहीं है, जब तक कि कानून विशेष रूप से ऐसा अधिकार प्रदान नहीं करता है । जहां तक अपराधी के सुनवाई के अधिकार का संबंध है, नैसर्गिक न्याय के नियम की आवश्यकता वकील या एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने के अधिकार तक विस्तारित नहीं हो सकती है|

08. महेंद्र बनाम मध्य प्रदेश सरकार

CRIMINAL APPEAL NO(S). 30 OF 2022

(Arising out of SLP(Crl.)No.6530/2018)

बेंच - जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस. ओका

LawSpark Institute

[धारा 149 IPC] क्या विधि विरुद्ध जमाव (Unlawful Assembly) के लिए पांच से कम व्यक्तियों पर आरोप लगाया जा सकता है ?

गैरकानूनी रूप से जमा होने की एक अनिवार्य शर्त कि इसमें सदस्यों की संख्या पांच या इससे अधिक होनी चाहिए

लेकिन पांच से कम व्यक्तियों को धारा 149 के तहत भी आरोपित किया जा सकता है, "यदि अभियोजन पक्ष के पास यह मामला है कि न्यायालय के समक्ष गैरकानूनी जमावड़ा वाले व्यक्तियों की संख्या पांच से अधिक है , जिनमें से अन्य ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पहचान नहीं की गई है और वे निहत्थे (unarmed) हैं"

09. भादर राम (डी) बनाम जस्सा राम

CA 5933 of 2021

बेंच - जस्टिस एमआर शाह और एएस बोपन्ना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को केवल उसके मूल राज्य का माना जाता है, जहां वह स्थायी निवासी है, न कि उस राज्य का जहां वह प्रवास करता है|

10. भारत संघ बनाम अलपन बंद्योपाध्याय

CIVIL APPEAL NO.197 OF 2022

(Arising out of SLP(C)No.18338/2021)

Lawspark Institute

बेंच - जस्टिस ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार

एक ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले (प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम, 1985 की धारा 25 के तहत पारित एक फैसले सहित) की जांच केवल उस हाईकोर्ट द्वारा की जा सकती है, जिसके पास उक्त ट्रिब्यूनल पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है।

संविधान पीठ द्वारा एल चंद्रकुमार फैसले में निर्धारित शासन का उल्लेख किया, "संविधान के अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के तहत बनाए गए ट्रिब्यूनल के सभी निर्णय हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच के समक्ष जांच के अधीन होंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित ट्रिब्यूनल आता है।"

Lawspark Institute